कार्यालयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

राजकीय आई०टी०आई० परिसर, अलीगंज, लखनऊ–226024

पत्रांक – /कौ०वि०मि० / UPSIC Main / 2330 / 2022–23 दिनांकः 14 फरवरी, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में मिशन द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 07.11.2022 को अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है।

2. उक्त अनुबंध के अन्तर्गत General Conditions of Contract (Article-1) के प्रस्तर–4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि संस्था द्वारा प्रशिक्षण संचालक Subcontracting की प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जायेगा तथा संस्था द्वारा Franchise arrangement के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

अग्रेतर उक्त प्रस्तर–4 के उपप्रस्तर 4.3 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त निषेधकारी प्राविधानों का उल्लंघन करने की दशा में सम्बन्धित राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता का अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए संस्था को गैर सूचीबद्ध कर दिया जायेगा।

अनुबंध का प्रस्तर–4 निम्नवत् उद्धृत हैः–

4. <u>Subcontracting or Franchising</u>

4.1 GTP shall not contract the conduct of training.

4.2 GTP shall not operate the training centres via a franchise arrangement.

4.3 Violation of the above provisions would invite immediate termination of the agreement and de-empanelment of the concerned GTP.

3. उक्त अनुबंध के क्रम में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड को मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 4073 / कौ0वि0मि0 / टी0पी0पी0 / 2039 / 2022–23 दिनांक 9.1.2023 द्वारा जनपद बलरामपुर, बरेली, आगरा, शाहजहाँपुर व बहराईच में वर्ष 2022–23 में एसएसडीएफ एवं एससीएटूएससीएसपी योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यावंटित किये गये हैं।

4. क्षेत्रीय प्रबंधक, बाँदा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 द्वारा अपने पत्र संख्याः 640 / उपसिक / क्षे0का0(बाँदा) / 2022–23 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए ई–निविदायें आमंत्रित किये जाने की तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है।

5. उक्त तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि संस्था द्वारा अनुबंध के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को चयनित कर Sub-letting के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है।

6. अतः संस्था के उक्त कदाचरण को संज्ञान में लेते हुए अनुबंध के अन्तर्गत General Conditions of Contract (Annexure-1) के प्रस्तर 4.3 के अनुसार उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को निरस्त करते हुए संस्था को डी–इम्पैनल्ल किया जाता है तथा संस्था को आवंटित लक्ष्य प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाते है।

7. इसके अतिरिक्त उक्त संस्था को भविष्य में भी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ किसी प्रकार के अनुबंध हेतु डिबार (Debar) किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक

संख्याः 5056/कौ0वि0मि0/UPSIC Main/2330/2022–23 तद्दिनाकिंत।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभागं, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
4. सहायक निदेशक/प्रभारी (आई0टी0), उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
5. सहायक निदेशक/प्रभारी (आई.टी.), उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को पोर्टल पर अपलोड करने तथा पोर्टल पर तद्नुसार लक्ष्यों के संशोधन हेतु।
6. गार्ड फाइल।

8/2/23

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक